स्वामित्व योजना रिपोर्ट

हाल ही में मध्य प्रदेश में [स्वामित्व (SVAMITVA) योजना](#) और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान **स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट** जारी की गई।

- रिपोर्ट में उन मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है जिन्हें राज्य समग्र रूप से स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को साकार करने के लिये अपना सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- **विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में:**
  - **विशेषज्ञ समिति** का गठन वर्ष 2022 में किया गया जिसमें भूमि शासन, बैंकिंग, भारतीय सर्वेक्षण,[राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)](#), [भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)](#), राज्य राजस्व और पंचायती राज विभागों, उद्योग एवं प्रमुख योजनाओं तथा वास्तुकला संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे।
- **रिपोर्ट की सिफारिशें:**
  - योजना के कार्यान्वयन में **पारदर्शिता को बढ़ावा देने** वाली प्रणालियों का निर्माण करना।
  - **बैंक से ऋण प्राप्त करने के 'अधिकारों के रिकॉर्ड' को अपनाने को बढ़ावा देना।**
  - संपत्ति कर निर्धारण और संग्रह से संबंधित सूचित निर्णय लेने के लिये **विभिन्न विभागों के बीच संबंधों को मज़बूत करना।**
  - नए [भू-स्थानिक](#) दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा **स्वामित्व डेटा-सेट को व्यापक रूप से अपनाना**।
  - [RADPFI (ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन)](#) दिशा-निर्देशों एवं सटीक ग्राम स्तर-योजना के लिये स्वामित्व डेटा को अपनाना।
  - राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर GIS कौशल **क्षमता बढ़ाना**।

स्वामित्व योजना:

- **परिचय:**
  - स्वामित्व का मतलब **गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण है।**
  - यह एक [केंद्र प्रायोजित योजना](#) है जिसे 24 अप्रैल, 2021 को [राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस](#) के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था।
- **नोडल मंत्रालय:**
  - पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)।
  - भारतीय सर्वेक्षण विभाग एक प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी है।
- **उद्देश्य:**
  - ग्रामीण भारत के लिये एक **एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना**।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिकों को **'अधिकारों का रिकॉर्ड'** प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना।
  - ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन [ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी](#) का उपयोग करके किया जाएगा।
- **विशेषता:**
  - ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन **CORS (सतत् संचालन संदर्भ स्टेशन)** नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा जो 5 सेमी. तक की मानचित्रण सटीकता प्रदान करता है।
    - यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और घर का स्वामित्व रखने वाले घर के मालिकों को **'अधिकारों का रिकॉर्ड'** प्रदान करेगा।
  - यह वर्ष 2021-2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर करेगा।
- **संपत्ति कार्ड का नामकरण:**
  - संपत्ति कार्ड को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे; हरियाणा में **'टाइटल डीड'** (Title Deed), 'कर्नाटक में **रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड्स**' (Rural Property Ownership Records- RPOR), मध्य प्रदेश में '**अधिकार अभिलेख**' (Adhikar Abhilekh), महाराष्ट्र में '**सनद**' (Sannad), उत्तराखंड में '**स्वामित्व अभिलेख**' (Svamitva Abhilekh) तथा उत्तर प्रदेश में '**घरौनी**' (Gharauni)।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/report-on-svamitva-scheme